



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 47 अंक 22

Website: <http://employment.livelihoods.rajabhastha.gov.in>

1 जनवरी, 2025

मूल्य : 3.00

वार्षिक शुल्क 60 रु



राजस्थान रोजगार सन्देश के पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं लेखकों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(159)RSSB/अर्थना/प्र.सु.वि./च.श्रे.क./भर्ती/2024/

दिनांक : 12.12.2024

-: विज्ञापन सं. 19/2024 :-

-: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 :-

प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) विभाग, 1999 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, मंजूरित एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 (पैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 5622) के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित पत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्देशनों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	नतीला सेवा नियम/उपविधियों जिनके तहत पदों की भर्ती की जाती है	पद का नाम	पैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 1999 यथा संशोधित	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	46931	5522	52453

विशेष नोट :-

(1) Online Application Form में समस्त वर्णित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई शुल्क गलत या अपूर्ण करने पर आवेदन का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परत में प्रेषित नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर विरलत की जा सकती है।

1. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :- बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे जिन्हें राज्य के अक्षिण/निर्धारित ई-निर्देशन/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल <http://rssb.rajabhastha.gov.in> पर <http://rssb.rajabhastha.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अपना एच.एस.ओ. पोर्टल <http://ssso.rajabhastha.gov.in> पर Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकमात्र पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) डैश पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गुप्त राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गुप्त राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सफलता से करें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिह्न (visible mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :-

1. आधार कार्ड आधारित सत्यापन:-

- यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जेनरेट करता है, तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

- यदि OTR (One Time Registration) SSO/जन-आधार के माध्यम से जेनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा :-

- अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जायेगा।

II. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेंगे :-

1. मूल प्रमाण पत्र विकल्प:- अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेंगे उसके पश्चात् E-कॉड बटन पर क्लिक करने पर कोमिटाइल/बोनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।

II. डिजिटल के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प :- अभ्यर्थी अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर व जिस वर्ष में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेंगे।

III. यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी:- "मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगा/होऊँगी।"

उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ, प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सत्यापन पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ई-निर्देशन संवाहक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जायेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

2. अभ्यर्थी एकमात्र पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।

3. अभ्यर्थी एकमात्र पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

4. अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाईल नंबर एवं स्वयं की ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि मध्यपूर्व सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं। आवेदन अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

5. आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।

6. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. आवेदन को आवेदन करने समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-निर्देशन डेल्टा लाईन नंबर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नंबर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।

8. अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 181 पर भी सहायता दर्ज करवाएँ एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की नि: शुल्क सुविधा है।

9. आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य धुमाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए सज्जत होगा।

10. समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajabhastha.gov.in एवं ssso.rajabhastha.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(क्रमशः)

2. एकवारीय पंजीयन शुल्क:—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकवारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा कराये।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रुपये 600/—

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रुपये 400/—

(ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु —रुपये 400/—

नोट—

- राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- पूर्व में एकवारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का वर्गावार आरक्षण निम्न प्रकार है—

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र—

शुल्क पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				शराब जिने की सल्लिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता
46931	12408	3752	1137	273	4912	1522	417	90	3953	1209	351	69	6431	2038	563	144	1715	530	133	18	3504	1068	320	48	104	53	10	1

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

दिव्यांगजन					भूतपूर्व सैनिक							उत्कृष्ट खिलाड़ी	
नियमित	दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	ID, MI, SLD & Autism	GEN 36%	SC 16%	ST 12%	OBC 21%	MBC 5%	EWS 10%	Bharat Sahasra	उत्कृष्ट खिलाड़ी	
नियमित	485	448	541	419	2525	922	724	1088	489	641	0	792	
कैकलॉग	*1	*1	*3	*0	*9	*4	*2	*4	*0	*1	0	0	
कुल	486	449	544	419	2534	926	726	1092	489	642	0	792	

(ख) अनुसूचित क्षेत्र—

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवरता
5622	2022	830	153	33	187	44	10	1	1636	450	120	27

नोट— अनुसूचित जनजाति पुरुष के 07, अनुसूचित जनजाति सामान्य महिला के 02, अनुसूचित जनजाति विधवा के 01 पद बैकलॉग के हैं जो उत्सवेक पदों में शामिल हैं।

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

दिव्यांगजन					भूतपूर्व सैनिक			उत्कृष्ट खिलाड़ी	
नियमित	दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	ID, MI, SLD & Autism	GEN 50%	SC 5%	ST 45%	उत्कृष्ट खिलाड़ी	
नियमित	56	48	69	43	400	60	238	91	
बैकलॉग	*0	*0	*0	*0	*2	*0	*1	-	
कुल	56	48	69	43	402	60	239	91	

नोट—

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जायेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

विशेष प्रावधान/सूचना—

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चात्तर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रोषित किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रोषित की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
- परन्तु इस प्रावधान के अर्धीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्तियाँ पश्चात्तर्ती वर्षों में उपलब्ध हों।
- राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक हैं, पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण— विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतु अमान्य होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परिवरता (विवाह-विच्छिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि विज्ञापित पदों के लिये पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परिवरता (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिवरता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परिवरता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चात्तर्ती वर्ष के लिये अग्रोषित नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में स्वाम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परिवरता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परिवरता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.विशेष अपील (रिटार) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात् अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(क्रमशः)

8. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
9. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग)** के केवल वे ही आवेदक/अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त **आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**
10. राजस्थान राज्य को अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इतनी बर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
11. **बारह जिले की सहरीय आदिम जाति** के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बारह जिले में सहरीय जाति के लिये निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।

12. भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आशितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :-

(1) प्रतिस्था (भरत, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवानुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवानुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिस्था सेवा से सेवानुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे पश्चातवर्ती नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

- भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आनेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.6 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्रिटियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (हैरिज) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्रिटिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्रिटियों की समान संख्या अगले वर्ष में अशेषित की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्रिटिया व्ययगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(16) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।
 - कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(16) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।
 - "कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराशेष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराशेष प्रमाणपत्र (एनओसी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वारसादिक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को स्थित कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।"
 - "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हक करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निर्दिष्ट किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"
 - यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिक्रिटियों की समान संख्या अगले वर्ष में अशेषित की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्रिटिया व्ययगत (Lapse) हो जायेगी।
 - किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य को अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जायेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार बरों के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/बचन कंपत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।
13. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्रिटियों का 2% आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण हैरिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी स्थिति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अशेषित नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार नीचे दी गयी तालिका में वर्णित योग्यता रखता हो। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त वर्णित योग्यता से इतर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सामान्यी प्रावधान:- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने:-

- उक्त सारणी को स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/वैपियनशिप में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट/वैपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/विश्व वैपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन वैपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/वैपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/वैपियनशिप

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/वैपियनशिप में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
- एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ओल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;
- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल वैपियनशिप/पैरा नेशनल वैपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। **उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।**

14. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-

- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ देय है:-

i. B/LV (Blindness/ Low vision)

ii. HI(Hearing Impairment)

iii. LD/CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy

iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.

v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities.

(क्रमशः)

1. **विद्यमानता का प्रमाण** - यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने विद्यमानता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती, तो उसे अमान्य माना जाएगा।
 2. **व्यक्तिगत जानकारी** - व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
 3. **सुरक्षा** - व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
 4. **गोपनीयता** - व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक है।
 5. **अभिलेख** - व्यक्तिगत जानकारी को अभिलेखित करना आवश्यक है।
 6. **अभिलेख** - व्यक्तिगत जानकारी को अभिलेखित करना आवश्यक है।
 7. **अभिलेख** - व्यक्तिगत जानकारी को अभिलेखित करना आवश्यक है।
 8. **अभिलेख** - व्यक्तिगत जानकारी को अभिलेखित करना आवश्यक है।
 9. **अभिलेख** - व्यक्तिगत जानकारी को अभिलेखित करना आवश्यक है।
 10. **अभिलेख** - व्यक्तिगत जानकारी को अभिलेखित करना आवश्यक है।

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- [illegible]

5. **वेतनमान**—राज्य सरकार द्वारा दिये गये वेतनमान को अनुसरण करती होगी। वेतन पैकेज के अन्तर्गत वेतनमान के निर्धारण के लिए वेतन आयोग का गठन किया जायेगा।

6. पात्रता एवं ईशणिक योग्यता-

Secondary from a recognized Board or its equivalent examination

[illegible]

- [illegible]

अन्य योग्यताएँ :-

- [illegible]

7. राष्ट्रियता :-

- [illegible]

राजधानी जयपुर सीमा में अन्य विरोध श्रेणियों में हथु लिये डकार दे रहे होंगे।

- [illegible]

- [illegible]

। बहिन है बहिन

- [illegible]

1. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुषांगी लाभों की संरक्षण-अवेदों को अपने ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थी को

- लेनदार/अभिज्ञान/बेहद दूत भिन्ना अधिकारी कथा कर्मचारी दूत जिने को निर्देशों का कनिष्ठा कल कला वसिष्ठ, ऐसा न करने कथा कनिष्ठ केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं

- [illegible]

2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

- चतुर्थ श्रेणी कमधारा का परीक्षा स्थान एवं पाठ्यक्रम

Item	Price	Quantity	Total
------	-------	----------	-------

- | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|
| क्र.सं. | विषय | अर्थ-शास्त्र | प्रश्न |
| | | सूचीकृत प्रश्न | |
| १. | सूचीकृत प्रश्न | सूचीकृत प्रश्न | |

1	600 000	30
2	1 000 000	50

- | | | | |
|---|---|--|--------|
| 2 | संगणक उपकरण | 15 | 2 घंटे |
| 3 | संगणक भाषा :-

एड्रेस
इतिहास, काल एवं संस्कृति प्रकाशन
भारतीय संविधान एवं संवैधानिक व्यवस्था एवं विधिक प्रणाली एवं सामाजिक व्यवस्था
संगणक प्रणाली
संगणक-आधारित प्रणाली
संगणक प्रणाली | 50

10
10
10
05
10
05 | |
| 4 | संगणक प्रणाली | 25 | |
| | कुल | 120 | |

Pattern of Question Papers:

1. Objective Type Question Paper.

2. Maximum Marks: 200

3. Number of Questions: 120
4. Duration of Paper: Two Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. Negative Marking: 1/3 mark will be deducted for each wrong answer.
7. The standard of the paper will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan.

पुस्तक

- | क्र.सं. | विषय विवरण |
|---------|----------------|
| १. | सामान्य हिन्दी |

	शुद्धि, वाक्य शुद्धि (सर्तनी सम्बन्धित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से सम्बन्धित अशुद्धियाँ), काल के प्रकार (भेद), मुहावरे एवं लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक (सकनीकी) शब्दों को सामान्यार्थक हिन्दी शब्द, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान (यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्द्धशासकीय पत्र इत्यादि)।
2.	General English Tenses / Sequence of Tenses, Voice : Active and Passive, Narration : Direct and Indirect, Transformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and Vice-Versa, Correction of sentences, words wrongly used, Use of articles and determiners, prepositions, punctuation, Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and Vice-Versa, Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).
3.	भूगोल राजस्थान:- स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, जनसंख्या-आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि। Geography Rajasthan- location, extent, physiography and physical division, soil, natural vegetation and forest conservation, climate, water resource, drainage system and lakes, major irrigation projects, population- size, growth, distribution, density, sex ratio and literacy, transport of Rajasthan & state roads, Disaster Management & Climate Change etc. राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति ऐतिहासिक घटनाएँ, स्वतंत्रता आन्दोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, याद यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले और त्यौहार, आयुष्मान, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वृद्धि से राजस्थान की हस्तियाँ इत्यादि। History, Art and Culture of Rajasthan Main historical events, freedom movement, integration, important personalities, language and literature, folk culture and social life, costumes, musical instruments, folk deities, folk literature, dialects, fair & festivals, ornaments, folk art, architecture, folk music, dance, theatres, tourist places and monuments, celebrities of Rajasthan from historical and cultural point of view etc. भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संविधान का परिचय एवं आधारभूत ज्ञान, राज्य शासन एवं राजनीति : राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा- मुख्य सचिव, जिला प्रशासन (सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन), जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, चुनाव का अधिकार अधिनियम इत्यादि। Indian Constitution and political and administrative system with special reference to the state of Rajasthan. Introduction and basic features of the constitution, state governance and politics - governor, chief minister and cabinet, legislative assembly and judiciary, administrative structure of the state: chief secretary, district administration (general administration and police administration), judicial structure at the district level, right to information act etc. सामान्य विज्ञान भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं प्रमुख योगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर : संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारण एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन General Science Physical and chemical changes, Metals, non-metals and major compounds, Reflection and laws of light, General terminology related to genetics, Human body: structure, organ systems, Major human diseases, causes and diagnosis, waste management. प्रमुख सम-सांघिक घटनाएँ खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधी मुद्दे इत्यादि। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। Major current events Issues related to sports, politics, economy, social, geographical, cultural, ecological and technical fields etc, State & national issues, Famous personalities, State & national program and policy etc. कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन - हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर - ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि (कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन -एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि)। Computer Overview of computer system- hardware devices, software - operating system and application software etc .Overview of office applications - MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, E-mail etc. गणित महान समान्यतः एवं लघुतम समास, औसत, लाभ-हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात-समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, बाल एवं दूरी, औंठों का चिह्न द्वारा निरूपण इत्यादि। Maths Hcm&Lcm, average, profit-loss, percentage, simple interest, compound interest, ratio-proportion, partnership, time and work, time, speed and distance, representation of data through pictures etc.

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एन.आर. उत्तरपत्रक में पीछा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

- प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को गोलें बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।
Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।
It is mandatory to fill only one of the options for each question.
- यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पीछा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पीछा विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटायें जावेंगे।
If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 निमट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पाँच गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।
A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

23. बोर्ड की वेबसाइट:-अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajabasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जावेगा।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(146)RSSB/अर्थना/मा.शि./पु.अ. ग्रेड-III/2024/

दिनांक : 11.12.2024

-: विज्ञापन सं. 18/2024 :-

-:: पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III सीधी भर्ती-2024 ::-

पर्यटन शिक्षा विभाग के डिप्टी राजस्थान संस्कृत शिक्षा एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय स्तर) नियम-2015 यथा संशोधित, माध्यमिक शिक्षा विभाग के डिप्टी राजस्थान शिक्षा (राष्ट्र एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (राष्ट्र एवं सेवा शी अन्य सेवा) नियम, 2014 के अन्तर्गत पुस्तकालयग्रन्थ पेय-III के कुल 648 शि अनुसूचित क्षेत्र के 483 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 66) के पदों पर वर्गीकृत नियमित प्रवेश में ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं./ पद कोड	विभाग का नाम	मर्ती सेवा नियम/उपविधियों जिनके तहत पदों की मर्ती की जाती है	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 तथा संशोधित	पुरतलकालयग्रहण स्टैज-III	439	61	500
2.	संस्कृत शिक्षा विभाग	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 तथा संशोधित		44	04	48
कुल पद				483	65	548

विशेष नोट :-

1. **अभ्यर्थी** उक्त चर्चा पर चयन के बाद जितने दिनों में न्यायिक शिक्षा विभाग अथवा संस्कृत शिक्षा विभाग में परीक्षाएं आयोजित हैं, उसे संबंधित विभाग की वेबसाइट/आधिकारिक पृष्ठों के लिंके आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलेज में ध्यान अनिवार्य होगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवेदन श्रेणीवार मैट्रिड एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम (Merit Cum Priority) के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में पर्याप्त विभागों की प्राथमिकता क्रम भरें। इसका बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. **Online Registration** विभाग में समस्त सीजित सूचना अद्यतन अधिकृत करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अनुप्राप्त करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के पुनः कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं उसकी जगहवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है एवं कानूनी कार्यवाही अगल में लाई जा सकती। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/अव्यक्त सूचना या अनुप्राप्त आवेदन के सुधार के क्रम में **बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- 1. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया**—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अंतर्गत/निर्धारित ई-गवर्न सिस्टम/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-
- i. ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को **बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <https://rsrb.rajalasthan.gov.in>** पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अगवा एन.एस.ए.ओ. पोर्टल <https://sso.rajalasthan.gov.in> से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकमात्र पंजीयन शुरू करना नहीं किया गया तो वे अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टेब पर अपनी श्रेणी (Unreserved/JR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)/श्रेणी, दिखाना होगा की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुरू का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिखाना होगा की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु निर्देशों। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सत्यापनी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन पत्र भरेंगे। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिह्न (visible mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :-
- i. आधार कार्ड आधारित सत्यापन—
- a) यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जेनरेट करता है, तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- b) यदि OTR (One Time Registration) SSO/जन सुविधा के माध्यम से जेनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा :-
- अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जाएगा।
- ii. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहाय्य की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि (प्रोवाइल विवरण) को सत्यापित करेंगे :-
- i. **मूल प्रमाण पत्र विकल्प**:- अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करना उसके परचावू Fetch बटन पर क्लिक करने पर होमिनाइल/बोनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।
- ii. **रिजिस्ट्रार के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प**:- अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों के बोर्ड का नाम, रोल नम्बर व जिस वर्ष में दस्तावेज कक्षा उत्तीर्ण की है, उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेंगे।
- iii. यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ हैं तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी:- "मैं अपनी प्रोवाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा/होऊंगी।"
- उपरोक्तप्रकार सत्यापन हो जाने के परचावू अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन पत्र भरेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं, प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सत्यापनी पूर्वक भरनी होगी। ई-गवर्न संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। आवेदन पत्र को Final Submit करके ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।
2. अभ्यर्थी एकमात्र पंजीयन शुरू करना अनिवार्य है अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।
3. अभ्यर्थी एकमात्र पंजीयन शुरू का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
4. अभ्यर्थी अपनी स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आईडी दर्ज करें तथा निम्नलिखित सूचना पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाओं में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी की भरणी होगी है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID पर ही आवेदन करना सुनिश्चित करें। अन्य दस्तावेजों में मरा पत्र आवेदन गलत नहीं किया जाएगा।
5. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के परचावू ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जाएगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थिति तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर संपर्क करें। ई-गवर्न हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424/0221425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0924-3057541 पर संपर्क करें।
8. अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की भी शुरु शुरू होगी।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य गलत पत्र बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
10. वास्तव सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट <https://rsrb.rajalasthan.gov.in> के माध्यम से प्रकाशित/सुविधित की जाएगी। सूचना इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई प्रकाशना नहीं किया जाएगा।
- 2. एकमात्र पंजीयन शुरू**—कार्गिक विभाग के निर्धारित दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकमात्र पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर क्लिक करना अनिवार्य होगा।
- (क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -**रूपरे 600/-**
- (ख) राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -**रूपरे 600/-**
- (ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु -**रूपरे 400/-**

नोट—

1. राजस्थान राज्य के अन्तर्गत ऐसे अन्त्यर्धी जो अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इत नयी श्रमिका के तौर पर सामान्य वर्ग का अन्त्यर्धी माना जायेगा। अतः ऐसे अन्त्यर्धियों को सामान्य अन्त्यर्धियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।

(क्रमशः)

- वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिये **One Time Registration (OTR)** में **शैक्षणिक योग्यता** में केवल **मात्र एकमात्र संशोधन की अनुमति दी गयी है।** सर्वप्रथम अर्ज्युनी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर लेंगे। अर्ज्युनी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि अर्ज्युनी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सम्पन्न कर चुका है तो ऐसी स्थिति में अर्ज्युनी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले, OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं को ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
- ii. यदि किसी अर्ज्युनी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अर्ज्युनी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अर्ज्युनी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा।
- iii. इसके पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अर्ज्युनी का होगा।
- 18. ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया:**—बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्ज्युनी संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अर्ज्युनी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन संशोधन करवाये जाने के पश्चात् आगामी 07 दिवस के भीतर SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का घबन कर My Recruitment Section के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के सम्बन्ध उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अर्ज्युनी को विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
- 19. भुत लेखन की सुविधा:**—साधन-व्ययता सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान विद्यागणन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नैत्रहीन (Blind)) सुरुंगी एवं अल्पदृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निश्चिन्ता) या शारीरिक रूप से निश्चिन्ता (जो बांह कटे होने या अंगुलियां नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, को परीक्षा में भुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अपात्रता पुष्टिपत्रावश लेखन कार्य से अस्मर्थ हुए अर्ज्युनी को यह सुविधा देय नहीं होगी। भुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होने ही पश्चात् निश्चिन्ता प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम 02 दिवस पूर्व ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीन के सम्बन्ध उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित भुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुसूचक करें और प्रमाण पत्र की रसमप्राप्ति एक प्रति केन्द्राधीन को भी दी जायेगी। साथ ही बोर्ड की वेबसाइट पर जारी भुतलेखक के लिये दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।
- 20. अर्ज्युनी के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-**
- कार्यिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी। अर्ज्युनी की पात्रता के संबंध में समुचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।
 - आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा। अतः आवेदक साक्ष्यानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में भरें।
 - अर्ज्युनी को वर्ग विशेष हेतु अर्हता पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अर्ज्युनी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।
 - आरक्षित पदों हेतु अर्ज्युनी को राजस्थान राज्य में सहाय अधिकारी द्वारा जारी भुत निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
 - कार्यिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आरक्षित वर्ग से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त श्रेणी-वर्ग इस वर्ग के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सहाय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अर्ज्युनी को उनके वर्ग में आख्यान का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अर्ज्युनी के पास सहाय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः नती हैतु अर्ज्युनी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।
 - कार्यिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र को अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है:-
“यदि किसी कारणों से अर्ज्युनी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अर्ज्युनी से इस अन्तिम तिथि तक का एक शपथ-पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संश्लिष्ट वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।”
 - जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 08.08.2016 के अनुसार :-
i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के शिष्टि समस्त शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
ii. किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में गयी होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.08.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।
 - अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सहाय अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरीया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सहाय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरीया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पति के नाम व निवास के आधार पर सहाय अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्ज्युनी को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफएन(10)/आ.क. व/डीडीसीसी/सामाजिक/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित सहाय शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
 - दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशासनिक योग्यता, आय, वैवाहिक स्थिति, परिवारका, भूतपूर्व सैनिक, उत्प्रेष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
 - भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सहाय स्तर से जारी सेवाविधि प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
 - उत्प्रेष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सहाय स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्प्रेष्ट खिलाड़ी कोटों के पदों का लाभ देय होगा।
 - किन्वा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अर्ज्युनी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से सिक ऐस दस्तावेज/सहाय जिसमें उसको पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शासन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पतनसला सहाय पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
 - परिवारका/विवाह विधिनिष्ठ श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अर्ज्युनी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।
 - शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बाध्यकारी है।
 - विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परिवारका श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परिवारका श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - अर्ज्युनी को अंतिम प्रशासनिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अर्ज्युनी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
 - अर्ज्युनी को घयन उपरान्त आधार संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक को विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक घाटा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्यिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्राक्तनानुसार अर्ज्युनी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
 - अर्ज्युनी को घयन उपरान्त सहाय प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासंभव नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
 - ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय अधीनस्थ उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियुक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथिगत सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अर्ज्युनी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
 - उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात् का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
 - आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अर्ज्युनी की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अर्ज्युनी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरने वाले की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- 21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:**—आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिये और परीक्षाओं में केन्द्राधीन/अनिवार्य/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यता पालन करना चाहिये, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षाओं के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीन को भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षाओं के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित “Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination” तथा “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016” के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षाओं में को साक्ष्यन किया जाय है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत तथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कच्चा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अब्बर एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्राधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा चतुर्वर्ष या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुर्योचित करने पर न्यूनतम बीच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (क़रमशः)

(असारे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :- पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-

Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Librarian Grade-III :-

The examination shall carry 400 marks. There will be two papers. Both Papers shall be of 200 marks each.

Paper-I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2:00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:
 - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - (ii) Current Affairs of Rajasthan
 - (iii) General knowledge of world and India.
 - (iv) Educational Psychology

Syllabus and Scope of Papers:- The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Paper-II

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2 Hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:-
 - I. Universe of knowledge
 - Structure and Attributes
 - Modes of formation of subjects
 - Different types of subjects
 - Universe of subjects as mapped in different schemes of Classification.
 - II. Bibliographic description.
 - Catalog purpose, structure and types physical forms including OPAC filling rules.
 - Normative principals of cataloging.
 - Overview of principles of practice in document description.
 - Current trends in standardization, description and exchange.
 - Standard code of cataloging.
 - III. Methods of knowledge organization.
 - General theory of Library classification.
 - Normative principles of classification and their applications.
 - Species of Library classification.
 - Standard schemes of classification and there features, CC, DDC, UDC.
 - Notation :** need, functions, characteristics.
 - Design and development of schemes library classification, standard sub-division index. Trends in Library classification.
 - IV. Subject Classification
 - Principles of subject classification.
 - Subject heading lists and there features.

Syllabus and Scope of Papers:- The syllabus and scope of papers for the examination will be as prescribed by the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पॉपवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुष्टिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पॉपवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पॉपवा विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जायेंगे।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा कर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पाँच गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य किया जायेगा।

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

23. बोर्ड की वेबसाइट:- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट <https://rssb.rajalasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रकाश संस्थान परिसर दुर्गापुर, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(158)RSSB/अर्थना/पशु.पा.वि./भर्ती/2024/

दिनांक : 11.12.2024

-: विज्ञापन सं. 15/2024 :-

-: पशुधन सहायक सीधी भर्ती-2024 :-

पशुपालन विभाग के लिये राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के कुल 2041 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1820 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 221) के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	भर्ती सेवा नियम/उपविधियों जिनके तहत पदों की भर्ती की जाती है	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	पशुपालन विभाग	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 यथा संशोधित	पशुधन सहायक	1820	221	2041

विशेष नोट :-

- Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के कम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया**—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। लघुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-
 - ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल <https://rssb.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकवारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से करें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में दृश्य चिह्न (visible mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :-
 - आधार कार्ड आधारित सत्यापन—
 - यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जेनरेट करता है, तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
 - यदि OTR (One Time Registration) SSO/जन-आधार के माध्यम से जेनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा :-
 - अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जायेगा।
 - यदि आधार कार्ड नहीं है, तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेंगे :-
 - मूल प्रमाण पत्र विकल्प— अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेंगे उससे पश्चात् Fetch बटन पर क्लिक करने पर होमिंसट्रल/बोनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।
 - डिजिटलकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प :- अभ्यर्थी अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नम्बर व जिस वर्ष में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेंगे।
 - यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी—“मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगा/होऊँगी”।
 - उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ, प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होंगी। ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जायेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।
 - अभ्यर्थी एकवारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।
 - अभ्यर्थी एकवारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
 - अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आईडी दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
 - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र को Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
 - अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित स्थिति तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
 - अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निः शुल्क सुविधा है।
 - आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
 - समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट <http://rssb.rajasthan.gov.in> के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- एकवारीय पंजीयन शुल्क**—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकवारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।
 - सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु—रूपये 600/-
 - राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु—रूपये 400/-
 - समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु—रूपये 400/-

नोट—

- राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- पूर्व में एकवारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से पुनरा शुल्क देय नहीं होगा।

(क्रमशः)

3. पशुधन सहायक (Livestock Assistant) के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र -

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारों जिले की सहरीय आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित
1620	498	130	52	12	199	57	23	05	150	42	17	04	252	75	30	07	63	16	07	01	126	36	14	03	20	07	01	-

नोट:-बारों जिले की सहरीय जाति हेतु कुल 20 पद (14 पुरुष, 06 सामान्य महिला, 01 शिव) बैकलॉग के पद उपरोक्त पदों में शामिल हैं।

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)										
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी
	LV	(D&MH)	(OL,Dw, Aav)	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
नियमित	24	24	24	83	35	27	47	11	22	36
बैकलॉग	16	16	16	54	24	16	23	07	15	-
कुल	40	40	40	137	59	43	70	18	37	36

(ख) अनुसूचित क्षेत्र -

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित	सामान्य	सामान्य महिला	शिव	परिवर्तित
221	78	22	09	02	08	02	01	-	70	20	06	01

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)								उत्कृष्ट खिलाड़ी
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक				
	LV	(D&MH)	(OL,Dw, Aav)	GEN	SC	ST		
नियमित	03	03	03	14	01	12	04	
बैकलॉग	02	02	03	13	01	10	-	
कुल	05	05	06	27	02	22	04	

नोट:-

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र को अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जाएगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढोत्तरी करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

विशेष प्रावधान/सूचना:-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम परचातुर्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अक्षेपित किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अक्षेपित की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
- परन्तु इस प्रावधान के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोलर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोलर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्तियाँ परचातुर्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हों।
- राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक है, पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा।
- संयुक्तिकरण:- विभाजित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नौन क्रोमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतु अमान्य होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित शर्णाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परिवर्तित (विवाह-विच्छिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि विज्ञापित पदों के लिये पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परिवर्तित (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिवर्तित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा एवं परिवर्तित दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी जिसके लिये रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्त परचातुर्वर्ती वर्ष के लिये अक्षेपित नहीं की जाएंगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में रक्षक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परिवर्तित महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्ती की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परिवर्तित महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्ती इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.डी.विशेष अपील (रिट) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात् अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपपन्न राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नौन क्रोमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के कल से ही आरक्षण/अभ्यर्थी पात्र होने विद्यमाने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य विधायक का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- बारों जिले की सहरीय आदिम जाति के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बारों जिले में सहरीय जाति के लिये निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-
(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :-
(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवानिवृत्त के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवानिवृत्त के परचातुर्वर्ती वर्षों के लिये आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे परचातुर्वर्ती नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
● भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का अपेक्षित) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (क्षैतिज) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की (क्रमशः)

गणपती की मूर्त्यु सग से अनुसूचक क से बाय और अहीन, वीर्य, धिक्किल्लि अहोयल कडि से संकीर्ण समल अडिवाले की धुलि कर हो जेव तब एगकी सल्लो शिखर बा सगबार से काल गरी हुं हो और से अहीन गिफ्टि ब्रमिहारी हल दिक्क एव जवरी लेकवें का इगन-पा कालु कर दे।

- [illegible]

9 पैसा

10. **विद्यार्थी** प्रवेशीयता-पत्रिका में परिचित क्रमांक 14(3) में 7/8-12/2018 दिनांक 22-6-2018 से अनुसूचित जाति परीक्षित के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विद्यार्थी प्रवेशीयता पत्रिका को प्रयोग में लाना है।

11. निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- [illegible]

12. परीक्षा आयोजन :-

1. कोई द्वारा सामान्य सत्यक के उपाय नहीं कर पाई प्रयोग सामग्री प्रिन्स 13.06.2025 को **कम्यूटिंग अवधि प्रयोग (CBT)/डेबिट अवधि प्रयोग (DBT)/ऑपरेटिंग (ओपरेटिंग) अवधि प्रयोग** समेकित करने का प्रयास किया। कोई के पास प्रयोग के प्रिन्स 2.0 में परिवर्तन करने के अधिकार सुरक्षित है।

[illegible]

14. अनामति प्रमाण पत्र के संबंध में :- सभी अवेक को पढ़ने में ही रहना है क्योंकि ये है वास्तविकी क्योंकि ये निष्कर्ष है उन्हें अपने निवेदन को इस पत्रिका के लिए अवेक पर प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सुविधा करते हुए अवेक बना चाहिए। अवेक को धरना की जाय यह दस्तावेज अवेक के समक्ष निवेदन विभाग से प्राप्त अनामति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

- [illegible]

16. आवेदन कैसे करे-

अवेदक जिस श्रेणी के रहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
 सौ- सरक्षण के विपक्ष में/उत्ती विपक्ष में की कोर्पोरेट श्रेणी के आवेदक का राजस्व राज के निम्न तथ्यों की अनुसूची तथी/अनुसूची तथ्यादी/विपक्ष में/उत्ती विपक्ष में
 (सिगिनेचर एवं मीन डोमेनस)/आर्थिक का से कलजों को से आवेदक सामग्री एवं से अन्तर्गत को है।

क्या यह सत्य है-

- [illegible]

8-फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

छोटे अपलवक करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- [illegible]

विशेष टिप्पणी:

- [illegible]

17. ऑनलाइन आवेदन में संगोपन की प्रक्रिया-सर्वेदार ऑनलाइन आवेदन में संगोपन

- [illegible]

19. ग्रा लेखन की सुविधा—कानूनमन्त्रालय तथा पोलिसियों को इस-उत्तर एवं अन्य हस्त

- [illegible]

संस्कृत में अनेकों अर्थों में प्रयुक्त है।

- [illegible]

(कमणः)

- vii. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरीया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरीया आदिम जाति की विभाजित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- ix. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ+10/आ.क. व/डीडीवीसी/साम्याअवि/19/28046 दिनांक 06.06.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित सलमन शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
- x. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशासनिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परिव्यक्तता, भ्रूणपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- xi. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवागिरि प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- xii. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।
- xiii. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/सक्षम जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वर्ये का जन्म प्रमाण पत्र, मातृदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- xiv. परिव्यक्तता/विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जावेगा।
- xv. शासन के परिपत्र क्रमांक प(8/19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीवन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बाध्यकारी है।
- xvi. विवाहित महिलाओं के लिये रतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परिव्यक्तता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विचार नहीं किये जाने संबंधी या परिव्यक्तता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xvii. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक सक्षम द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- xviii. अभ्यर्थी को घवन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक घाटा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्राकधानानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जावेगा।
- xix. अभ्यर्थी को घवन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
- xx. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाएगी अनापति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी को अनापति प्रमाण-पत्र को अंगण में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर गव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बंधी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- xxi. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के परवात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- xxii. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय की जावेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जावेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

- 21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम**—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षाधियों को केन्द्रीय/अधीनगर्/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्य पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्रीयीयक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षाधियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्राकधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहाय लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्राकधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अब्दे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्राकधान किए गए हैं। परीक्षाधियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुरुपयोग करने पर न्यूनतम पांच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अब्दे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्राकधान किए गए हैं। दोष सिद्ध पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्राकधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

- 22. पशुधन सहायक के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-**

पशुधन सहायक के लिये परीक्षा की स्कीम

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
भाग-अ- राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा और विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान(EVERYDAY SCIENCE), कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान, सामान्यतः प्रश्नपत्र।	50	150	03:00 HR
भाग-ब- VETERINARY SCIENCE	100		

नोट:-

- प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
- परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक अंक 40 प्रतिशत है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का एक-तिहाई(1/3) अंक काटा जावेगा।

पाठ्यक्रम (Syllabus)

भाग-अ

क्र.सं.	विषय विवरण
1	राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा, और विरासत 1. प्राचीन सभ्यताएं : कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और वैराठ। 2. राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक- सांस्कृतिक आयाम। 3. स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं-किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। 4. राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामण्डल आंदोलन। 5. राजस्थान का एकीकरण। 6. लोक भाषाएं(शैलियां) एवं साहित्य। 7. लोक संगीत एवं लोक नृत्य। 8. सन्त, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियां। 9. मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण।

(क्रमशः)

2	राजस्थान का भूगोल 1. राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप : जलवायु दशाएँ, वनस्पति, मुदाएँ, नदियाँ, बांध, झीले। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन : खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल-संसाधन, पशु सम्पदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं संरक्षण। जनसंख्या : वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात। प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान में पर्यटन।
3	राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 1. भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना(उद्देशिका), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। 2. राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकारी आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन। 3. स्थानीय स्व-शासन एवं पंचायतीराज।
4	राजस्थान की अर्थव्यवस्था 1. राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास : राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, मरु भूमि के विकास संबंधी परियोजनाएँ, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। 2. राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(MNREGA), विकास संस्थाएँ, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएँ, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका।
5	दैनिक विज्ञान (EVERYDAY SCIENCE) 1. भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन(Physical and Chemical Changes); ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएँ(Oxidation and reduction reaction); उत्प्रेरक(Catalysts)। 2. धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक(Metals, non-metals and their important compounds); सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक(Some important compounds used in daily life)। 3. कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक (Carbon and important compounds of carbon); हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbons); कार्बन के अपरूप (Allotropes of carbon); क्लोरो-फ्लोरोकार्बन या फ्रिऑन(Chloro-Fluorocarbon or Freons); सी.एन.जी.(Compressed Natural gas); बहुलक(Polymers); साबुन एवं अपमार्जक(Soap and detergents)। 4. प्रकाश का परावर्तन व इनके नियम(Reflection of light and its laws); प्रकाश का वर्ण विक्षेपण(Dispersion of light); लेंस के प्रकार(Type of lenses); दृष्टि दोष तथा उसका निवारण (Defects of vision and their corrections)। 5. अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी(Space and information technology); भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम(Space research programme of india); सूचना प्रौद्योगिकी(Information technology)। 6. आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली(General terminology related to genetics); मेण्डेल के आनुवंशिकता के नियम(Mendel's law of inheritance); गुणसूत्रों की संरचना(Structure of Chromosomes); न्यूक्लिक अम्ल(Nucleic Acids); प्रोटीन संश्लेषण का केन्द्रीय सिद्धान्त(Central dogma of protein synthesis); मनुष्य में लिंग निर्धारण (Sex determination in human);। 7. पर्यावरण अध्ययन(Environmental study); पारिस्थितिक तंत्र की संरचना(Structure of ecosystems); पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक (Biotic factors of ecosystem); पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह(Energy flow in ecosystem); जैव भू रसायनिक चक्र(Biogeochemical cycles); जैव प्रौद्योगिकी : सामान्य जानकारी(Biotechnology: General information); जैव-पेटेंट(Bio-patent); नई पादप किस्मों का परिवर्धन(Development of new plant varieties); ट्रांसजेनिक जीव या पराजीनी जीव(Transgenic organisms)। 8. जन्तुओं का आर्थिक महत्व(Economic importance of animals); पादपों का आर्थिक महत्व(Economic importance of plants)। 9. रक्त समूह(Blood groups); रक्तप्रदान(Bloods transfusion); आर.एच.कारक(Rh factor); रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य (Pathogens and human health); कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य (Malnutrition and human health)। मानव रोग: कारण एवं निवारण(Human disease: Cause and cures)।
6	कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान 1. Characteristics of Computers. 2. Computers Organization including RAM, ROM, File system, Input & Output Devices. 3. MS-Office(Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point).
7	सामसामयिक घटनाएँ 1. राजस्थान, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख सामसामयिक घटनाएँ एवं मुद्दे। 2. वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएँ। 3. खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ।

भाग-ब

क्र.सं.	विषय विवरण
1	VETERINARY SCIENCE 1. INTRODUCTORY VETERINARY ANATOMY. 2. INTRODUCTORY VETERINARY PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 3. ANIMAL HUSBANDRY EXTENSION. 4. INTRODUCTORY VETERINARY MEDICINE. 5. MINOR VETERINARY SURGERY. 6. INTRODUCTORY ANIMAL NUTRITION. 7. INTRODUCTORY ANIMAL MANAGEMENT. 8. INTRODUCTORY ANIMAL BREEDING AND GENETICS. 9. INTRODUCTORY ANIMAL REPRODUCTION. 10. INTRODUCTORY VETERINARY PHARMACOLOGY

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से मुद्रित करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में नीचे दिया विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

- प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E, अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुटिका में गहरी उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।
Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।
It is mandatory to fill only one of the options for each question.
- यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पीछा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पीछी विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जायेंगे।
If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किसी पीछ गोले में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य किया जायेगा।
A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

23. बोर्ड की वेबसाइट:- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट <http://rsb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार संविधान, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रमथ संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. बी.सी. बघाल)
सचिव

डी.आई.पी.आर/सी/12801/2024 रा.सं.सं. 56/2024

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(135)RSSB/अर्थना/वि.वि./वा.चा./भर्ती/2024/

दिनांक : 11.12.2024

-: विज्ञापन सं. 20/2024 :-

-:: वाहन चालक सीधी भर्ती-2024 ::-

साधन्य प्रस्तावत विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थाना मोटर नैशनल अधीनस्थ सेवा (मार्ती एवं सेवा की अन्य शर्ती) निगम, 1979 यथा संशोधित एवं संशोधन के अनुसूचित क्षेत्र अन्वीक्षण, मंत्राधिकार एवं चतुर्थी सेवा (मार्ती एवं सेवा की अन्य शर्ती), 2014 के अनुसार वारक कर कुल 2,756 (दो अनुसूचित क्षेत्र के 2,602 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 154) के पदों पर मर्ती एवं निगमित प्रथम से राजस्थान अन्वीक्षण मन्त्र की द्वारा सेवा प्रयोग अन्वीक्षण से विभाग में वर्गीकृत एवं एवं निम्नलिखित के अन्वीक्षणो अन्वीक्षण आवेदन पत्र (Online Application Form) 2002 एवं अनुसूचित क्षेत्रों को है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	मर्ता सेवा नियम /अपविधियों जिनके तहत पदों को मर्ता की जानी है	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों /अधीनस्थ कार्यालयों के लिए	राजस्थान मोटर गाँपान अधीनस्थ सेवा (मर्ता एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 1979 यथा संशोधित	वाहन चालक	2602	154	2756

विशेष नोट :-

(9) **Online Application Form** में समस्त सज्जित सूचना समस्त अधिकृत निकायों/ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इससे दिले गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अधूरी न होने का आवेदन का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के दृढ़ कर अपने पंजीकृत में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारों की भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। जिसकी समपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। मतलब/अवयव सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार किसी भी निकाय द्वारा निष्पादित नहीं किया जायेगा।

1. **ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:**—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से दी प्राप्त किये जायेंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <http://rsab.rajasthan.gov.in> अथवा <http://rsab.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।

विश्व को जानें। यदि आपका द्वारा OTR (One Time Registration) का एकमात्रायी पंजीयन भूतक जान नहीं कि जिसका मया है (तु आपका) को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी ओपी (UnReserved (UR) आपका Reserved (EWS/OBC/SC/MBC/NC/SC/ST/SAH)) ओपी दिखाना का विधि व गृह सच का विवरण पत्र करके फिनालित भूतक का भुताना जान होगा। अनिवार्यतः भुताना में आपकी ओपी OTR (One Time Registration) के समान भूत ओपी दिखाना का विधि व गृह सच को अनुसरण करें। Options पेज में आप अपनी ओपी (One Time Registration) प्रक्रिया को सार्वजनिक से परे। OTR प्रक्रिया को पुरा करने के बाद आपकी SSO को माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को आवेदन पत्र में नदिनाम पत्र को (a) मात्र से अधिक पत्र (न हो) आवेदन की जानी आवश्यक है। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य फिना (visible mark) करना अनिवार्य है। मती को किए आवेदन प्रक्रिया को दोहरान, समीक्षाओं को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिसका हेतु इससे प्राप्त निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :-

I. आधार कर्तव्य आधारित सत्यापन:-

- यदि अन्यथा जगने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जेनरेट करता है, तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि OTR (One Time Registration) SSO/जग-आधार के माध्यम से जेनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जागकारी का सत्यापन करना होगा: —

ii. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु गिफ़्टिड सहमति की घोषणा करनी होगी। अभ्यर्थी को भविष्य में निर्धारित तीन में से किसी एक विषय का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि (पोंकाइल विवरण) देना/स्वीकार्यता करेगा :-

II. किंजितोसक के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्केटीट से जोड़ने का विकल्प :- अवस्थी अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नम्बर व जिस वर्ष में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करवाएगा।

III. यदि आरम्भ उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ हैं तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी—“मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होंगा/होंगी”।

१. चतानुभव प्राप्त्याचं हो जाते के परमांत अण्मयी निर्मात्रि प्रकृत हो आवेदन भव शक्यता। आवेदन पत्र अण्मयी पत्र OTR में दाई की गई सूचनाओं, प्रखंडित रहेगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाओं को सावधानी पूर्वक भरी होगी है। -**निम्न संश्लेषदा चार ऑनलाइन भव आवेदन में यदि कोई गलत प्रक्रिती की जायै है तो आवेदन अण्मयी की गलती की माना जायेगा।** आवेदन पत्र को **Final Submit** करदे की अण्मयी की ऑनलाइन आवेदन काकसा जेनरेट हो जायेगा। अण्मयी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का डिजिट अथवा पारा सुरक्षित रख लेना जायै।

२. अण्मयी एकवारही फीसीनुव जमा करवाने हो जायेगा। हेतु अन्य किसी अन्य मोर्टेड अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करदे की सलाह दी जायै है।

3. अन्यथा एकद्वारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित कर ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction को लम्बित रहने का संचालन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

4. अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं स्वयं का ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

8. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र कर्मांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कर्मांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र को Preview को आवेदन को Submit होना नहीं माना जायेगा।

7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो **Recruitment Portal** पर दिये गये **Helpdesk Number** या **E-Mail** पर सम्पर्क करे। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2321424/2321425 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

222/1424/222/1425 एवं ऑनलाईन आवेदन संख्या समस्यार्थको किंवा हल्यलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क कर।

10. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट

2. **एकबारगी पंजीयन शुल्क**—कार्मिक कोषों के परिचय क्रमांक 19.04.2023 के द्वारा अग्रपंथियों को अपनी SSO ID द्वारा ऑनियन करने के बाद एकबारगी पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑनियन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राशय के निर्धारित ई-निगर कियोरक या एन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से राशय बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावे।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - **रुपये 600/-**

(ख) राजस्थान के गौन क्रीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्यप्राधिकृत

(ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु -रुपये 400/-

१. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित फंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।

2. पूर्व में एकबारोव पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करना चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

वाहन चालक के रिक्त पदों का वगैरह आरक्षण निम्न प्रकार है—

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र—

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बास जिले की राहतिया आगिन जाति			
	समान्य	समान्य महिला	किश	पैरिक्का	समान्य	समान्य महिला	किश	पैरिक्का	समान्य	समान्य महिला	किश	पैरिक्का	समान्य	समान्य महिला	किश	पैरिक्का	समान्य	समान्य महिला	किश	पैरिक्का	समान्य	समान्य महिला	किश	पैरिक्का	समान्य	समान्य महिला	किश	पैरिक्का
2602	876	239	60	9	268	72	23	2	209	50	17	2	309	83	38	5	78	19	5	0	174	41	13	1	7	1	0	

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)											
दीर्घांगजन				मूल्य लेनिक							
अंशता और अन्य विधि	(अंग्रेजपद (ऊँचा घुनने वाले) (i. 34%)	(१) एचसी (कुछ उपचारित) कीकम (महान) एचपी (रहित हथवा) (1.33%)	(२) एचसी (विशाल अभिमान हथवा) (i. 24)	GEN 36%	SC 16%	ST 12%	OBC 21%	MBC 5%	EWS 10%	Baran Sahitya	उत्कृष्ट खिलाड़ी
—	34%	1.33%	24	118	41	31	53	11	26	0	40

(ख) अनुसूचित क्षेत्र—

कूल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जगजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	शिक्षा	परिवर्तना	सामान्य	सामान्य महिला	शिक्षा	परिवर्तना	सामान्य	सामान्य महिला	शिक्षा	परिवर्तना
154	60	14	04	0	93	0	0	0	52	12	03	9

(क्रमशः)

हैरिजिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)							
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक			
अवस्था और अन्य धृति	(अ) भव्यवर्ष (कक्षा घुनने बाला) (1.34%)	(ब) एनसी (कुल उपधर्षाति) जीकबलु (सैन्यन) एनसी (एनडि डलल) (1.33%)	(ग) एसएलसी (विधित अवस्थन डलल)	GEN 50%	SC 5%	ST 45%	उत्कृष्ट खिलडी
—	5	2	0	8	0	8	1

नोट—

- राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त रोस्टरवार संकलित सूचना के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रेषित पदों के अनुसार वर्गीकरण जारी किया गया है।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र की स्थितियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अग्रणी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अग्रणी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अग्रणी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एजेंड में स्थिति नहीं माना जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उत्तर रित्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जाएगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण **हैरिजिज (Horizontal)** होगा।
- विभाजन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कभी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

विशेष प्रावधान/सूचना—

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अग्रियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अग्रणी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित स्थितियों को अधिकतम पर्याप्तता सीधे भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई स्थितियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु इस प्रावधान को अग्रीम सामान्य प्रक्रिया के अनुसार स्थितियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध स्थितियों को अनुसूचित जातियों या, स्थानिक, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी स्थितियां पर्याप्तता वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अग्रणी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु स्थितियों का आरक्षण हैरिजिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) होगा। महिला अग्रियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक है, पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा।
- स्पोर्ट्समेन— विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का भौगोलिक क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतु अमान्य होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परिवर्धता (विवाह-विधिम महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिये पर्याप्त विधवा अग्रणी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परिवर्धता (विवाह-विधिम महिला) से भरा जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिवर्धता अग्रणी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा एवं परिवर्धता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अग्रणी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित स्थितियां उस प्रवर्ग के मुख्य अग्रियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये स्थितियां आरक्षित हैं। महिला अग्रियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थित पर्याप्तता वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जाएगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में भी मूल का प्रमाण-पत्र एवं परिवर्धता महिला (विवाह विधिम महिला) को विवाह विधिम का न्यायालय का आदेश/डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परिवर्धता महिला (विवाह विधिम महिला) को विवाह विधिम का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अग्रिम स्थिति तक का प्रस्तुत करना होगा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.विशेष अपील (रिट्स) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात् अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियां (गैर भौगोलिक) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अग्रणी माना जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- बायें स्थिते की सहरीय आदिम जाति के अग्रणी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.19(20) कार्मिक/क-2/41पाट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बायें स्थिते में सहरीय जाति के लिये निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु —
 - भूतपूर्व सैनिकों के अग्रियों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
 - भूतपूर्व सैनिक —
 - प्रतिष्ठा (धन, जल, वायु सेवा) सेवाओं से सेवानिवृत्त के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवानिवृत्त संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
 - प्रतिष्ठा सेवा से सेवानिवृत्त के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे पर्याप्तता वर्ष के लिये अग्रणी बना दे।
- भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण परास्त्रम स्थित सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्थितियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (हैरिजिज) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित स्थितियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी और स्थितियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जाएगी तथा उपर्युक्त ऐसी स्थितियां व्ययपत्र हो जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित ए 22.12.2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।
- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.6(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिन्न है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
- कोई व्यक्ति जो अपनी पेशा अवधि अंतर्गत करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निरापेक्ष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी को सक्षम सेवानिवृत्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरापेक्ष प्रमाणपत्र (एनओसी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व पर्यगित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को स्थगित कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
- "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रमाणपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निर्दिष्ट किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की उपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा पुर्णतः सेवा नियमों में यथा स्थिति, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा।"
- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक पदग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा और स्थितियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी स्थितियां व्ययपत्र (Lapse) हो जाएगी।
- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रार्थना (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त सम्झा जाएगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं सम्झा जाएगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजन को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख बाद व्यूटों के बारे में सतत घोषणा पत्र/चयन संबंधित देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवक्षित नहीं किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नियमित/स्थायी/अस्थायी/अर्थात् आधार पर पुर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवक्षित नहीं किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नियमित/स्थायी/अस्थायी/अर्थात् आधार पर पुर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवक्षित नहीं किया जाएगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु— उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता रखने वाले अग्रियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल स्थितियों का 2% आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण हैरिजिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अग्रणी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी स्थिति पर्याप्तता वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वही अग्रणी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार सीधे भी यही तालिका में वर्णित योग्यता रखता हो। यदि कोई अग्रणी उक्त वर्णित योग्यता से हटकर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अग्रणी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सामान्यी प्रावधान—कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.6(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिन्न हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिनके—

- उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद को किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/सैपियनशिप में व्यक्ति: या टीम स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं.	अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/सैपियनशिप का नाम
1	अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलंपिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलंपिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैक गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.सी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/विश्व सैपियनशिप

(क्रमशः)

6	एशिया ओलंपिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिषद	एशियन वैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/वैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/वैंपियनशिप

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिता या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
3. इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/वैंपियनशिप में व्यक्तिता या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिता या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
5. इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन/पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल वैंपियनशिप/पैरा नेशनल वैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिता या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।
- नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो वोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। **उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भाँती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।**

14. दिव्यांगजन (निशस्त्रजन) के लिये :-

- a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार एवं उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम 2(ख) के अंतर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 05.12.2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न लिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है:-

वाहन चालक की सीधी भाँती में वीरता आरक्षण हेतु समिति द्वारा निर्णित पात्र श्रेणियाँ/उपश्रेणियाँ	निर्णित प्रतिशत आरक्षण
(अ) एएएस (ऊँचा चुनने वाला)	1.34 प्रतिशत
(ब) एएसवी (कृद्वय जगजगति) कोडब्यू (हीनामन) एएसवी (हसिद हनस)	1.33 प्रतिशत
(स) एएएसवी (विशेष अंग अंग)	1.33 प्रतिशत

- b. दिव्यांगजन के लिये दस्तावेज एवं अतिरिक्त पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा।
- c. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भाँती वर्ग में कोई स्थिति, उपयुक्त वैधानिक दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं पाई जा सके हो, तो ऐसी स्थिति आगामी भाँती वर्ग में घोषित की जाएगी और यदि आगामी भाँती वर्ग में भी उपयुक्त वैधानिक दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमक दिव्यांगजन की स्थिति विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ग में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजक उस स्थिति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- d. दिव्यांगजन आदेशक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य चयन करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भाँती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
- e. ऐसे आवेदक को दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन की सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निरुपलब्धता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निशक्ताता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु अर्हता पदों हेतु वाज्य माना जाएगा।
- f. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(8) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हता करने के लिए एक प्रमाणपत्र में व्युत्पन्न अर्हता उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहाँ कहीं भी निर्दिष्ट किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का कमितीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।"

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त स्थित पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अप्रिप्त हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सदावासी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदावासी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाद द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाद के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदावासी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एक.13(20) कार्मिक/क-2/81/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भाँती एवं अन्य सेवा शाही) नियम-2014 के अधीन होगा। जहाँ पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहाँ पर उपरोक्त विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के मद्रास राज्य, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एक. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक ए.13(20) कार्मिक/क-2/81/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विवरित (Rescinds) करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिर्दिष्ट (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ही आनलाइन आवेदन भरते समय अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में सही प्रविष्टि करें।
- नोट:-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशा, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अवस्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुसूचित साधनों की शोकायम एवं स्थान संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

5. वेतनमान:-

राज्य सरकार द्वारा देय शाली वेतनमान के अनुसार वाहन चालक पद हेतु **पै मैट्रिक्स लेवल 6** देय है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार इच्छा या भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति (Licence) रखता हो और ड्राइवर के रूप में 03 वर्ष का अनुभव हो (अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप "अनुलग्नक-1") और निम्नलिखित श्रेणी आवश्यक है:-

- वर्ष से अधिक या बिना वर्ष के हृदय 6X6 और
 - यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, यिनका परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यवसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है।
- जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भाँती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन पंजीयन की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:-
- मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
 - साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
 - लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

- नोट:-
- इस भाँती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भाँती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भाँती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
 - अनुभव एवं अनुज्ञप्ति (Licence):- आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा।

अनुलग्नक-1

1. कार्यालय/उपक्रम/कम्पनी/कर्म/संस्था का नाम..... एवं पता.....ई-मेल.....

2. कम्पनी/कर्म/संस्था का पंजीयन क्रमांक..... पंजीयन वर्ष मय दिनांक.....
(कम्पनी, कर्म एवं संस्था के लिए लागू)

क्रमांक:..... दिनांक:.....

राजस्थान
कोटी

-2 अनुभव प्रमाण पत्र -2-

कार्यालय/उपक्रम/कम्पनी/कर्म/संस्था को अधिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/शुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... जन्म दिनांक..... निवासी.....
वाहन चालक अनुज्ञप्ति धारक (Driving licence) क्रमांक..... दिनांक..... एवं आतार कार्ड नम्बर..... द्वारा इस कार्यालय/उपक्रम/कम्पनी/कर्म/संस्था में निम्नलिखित अवधि में इच्छा या भारी परिवहन वाहन चालन का कार्य किया है :-

1 दिनांक..... से दिनांक..... तक

2 दिनांक..... से दिनांक..... तक

3 दिनांक..... से दिनांक..... तक

यह प्रमाण पत्र उक्त श्री/शुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... को उनके वाहन चालन के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है।

संस्था के स्वाम अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर मय सील

- Pattern of Question Papers:**
1. Objective Type Question Paper.
 2. Maximum Marks: 200
 3. Number of Questions: 120
 4. Duration of Paper: Two Hours.
 5. All Questions carry equal marks.
 6. Negative Marking: 1/3 mark will be deducted for each wrong answer.
 7. The minimum qualifying marks shall be as per Departmental Rules.
 8. The standard of the paper will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan.

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- [illegible]

- [illegible]

22. वाहन चालक के पदों हेतु लिखित परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

क्र.सं.	विषय	अ-अ	सं.
		अंक	
1	संस्कृत केरी	30	2 सं.
2	संस्कृत केरी	15	
3	संस्कृत इति - दुर्गा श्रीकृष्ण का लंके की पराजय भक्तो कीर्तन का अन्तर्गत दम के विषय वर्णन में प्रयोजित का प्रमाणित ज्ञान संस्कृत केरी संस्कृत केरी संस्कृत केरी	50 10 10 10 05 10 05	
4	संस्कृत केरी	25	
		अंक	
		120	

पाठ्यक्रम

[illegible]

कहें हता अश्वमेध को रत्ने वाली लगे बसुन्धिर प्रीतियों में किसी प्रान्त का ज्ञान नहीं होने से संकट में अग्रणी से पुरे हथको जाने हेतु जोरदार, सरासरी में संघा विह्वल के संकट में निम्नलिखित विधि निर्दिष्ट रूप विधि पाते हैं :-

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2.પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે ફોર્મમાં દિવાલે મેં માત્ર એક જ વિકલ્પ એસવા જરૂર પડેલો છે।
It is mandatory to fill only one of the options for each question.

[illegible]

4.अगर यह सब करने के बाद अवधि को यह पुनिर्विष्ट करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक होना या नहीं है। इस हेतु निर्दिष्ट समय को यह अवधि को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

डी. बी.सी. बघाल
सचिव



श्री नरेन्द्र मोदी
राज्यपाल



श्री भजनलाल शर्मा
राज्यपाल

महत्वपूर्ण फैसलों से बदलती राजस्थान की तस्वीर

संशोधित पीकेसी योजना के लिए
राजस्थान, मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकार के बीच एमओयू

शेखावाटी अंचल को बहुप्रतीक्षित यमुना जल उपलब्ध कराने के
लिए राजस्थान, हरियाणा और केन्द्र सरकार के बीच एमओयू

ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रीय पीएसयू के साथ
2.24 लाख करोड़ के एमओयू

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 38,447 आवास पूर्ण
1 लाख 55 हजार नए आवासों की स्वीकृति

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में
20 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 30,297 आवास पूर्ण,
30,408 नए आवासों की स्वीकृति

लगभग 96 हजार कृषि कनेक्शन और
4 लाख 64 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भरपेट भोजन,
प्रति थाली सरकार की तरफ से 22 रुपये का अनुदान

किसान सम्मान निधि में 70 लाख से अधिक कृषकों को
5500 करोड़ रुपये से अधिक राशि हस्तान्तरित

लगभग 26 हजार सोलर पम्प सेट की स्थापना
के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का अनुदान

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
एवं मा वाउचर योजना प्रारम्भ

5 नये मेडिकल कॉलेज बारां, बांसवाड़ा, नागौर,
झुन्झुनूं एवं सवाई माधोपुर में प्रारम्भ

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में
लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एम.ओ.यू.

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत
7 करोड़ से अधिक पौधे रोपित

सड़क निर्माण पर लगभग 15000 करोड़ रुपये व्यय

43000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां

10.22 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल,
5257 करोड़ रुपये व्यय

एमजेएसए 2.0 में 5000 गांवों में 1 लाख
वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर्स कार्य

दस नवीन नीतियां

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना	राजस्थान मिनरल पॉलिसी	राजस्थान एम-सेण्ड पॉलिसी	राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी	इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी
राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी	राजस्थान एक जिला-एक उत्पाद नीति	इंटीग्रेटेड क्लस्टर डिजिटल प्लैटफॉर्म	राजस्थान एक्पोर्ट प्रमोशन पॉलिसी	राजस्थान ट्यूरिज्म युनित पॉलिसी

निर्भाई जिम्मेदारी, हर घर खुशहाली

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा
वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है
वें रु 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राट सहायक
निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक
पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

- संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण
एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की
अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने
वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह
उत्तरदायी नहीं है।

- सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, फैलाने सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुख्य, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी
सहायक निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, राजस्थान रोजगार संदेश,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001

e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in